(25

श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 15-07-2017 को आहूत जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

पंजी के अनुसार।

माननीय अध्यक्ष–सह–सांसद की अनुमति से सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उप विकास आयुक्त–सह–प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद का हार्दिक स्वागत किया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित माननीय विधायक, बक्सर एवं ब्रह्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नामित सदस्यगण एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। माननीय अध्यक्ष से बैठक के दिशा–निर्देश के लिए अनुरोध किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय विधायक, बक्सर एवं ब्रह्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नामित सदस्यगण एवं सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न कारणों से लम्बे समय के बाद "जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा)" की बैठक हो रही है। जब कि भारत सरकार के निदेशानुसार प्रत्येक 03 (तीन) माह में माननीय सांसद की अध्यक्षता में "दिशा" की बैठक होनी है। "दिशा" के उद्देश्य से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से होता है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले लोगों को राष्ट्र निर्माण के मुख्यधारा से कैसे जोड़ें, इसका दायित्व जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की होती है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया कि सभी के सहयोग से "दिशा" के उद्देश्य की पूर्त्ति की जा सकेगी। बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि भविष्य में बैठक से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन सभी संबंधितों को बैठक से एक सप्ताह पूर्व प्राप्त करा दें। तत्पश्चात गत बैठक (दिनांक 13-08-2016) के अनुपालन की निम्नवत समीक्षा की गई :–

1. गत बैठक में माननीय विधायक, बक्सर विधान सभा क्षेत्र द्वारा बक्सर प्रखण्ड अन्तर्गत दलसागर में रोड के दक्षिण 52 बीघें में अवस्थित पोखरा के कुछ हिस्से में हुए अतिक्रमण का मामला उठाया गया था, जिसके संबंध में अपर समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, बक्सर की त्रिस्तरीय टीम गठित कर एक माह के अन्दर जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया था। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा दलसागर, थाना नं0 348, खाता सं0 274, खेसरा सं0 1028 एवं 1084 में बावन बिगहा पोखर के जलकर एवं पिंड के अलग–अलग खेसरा एवं रकबा दर्ज है। खेसरा सं0 1028, जिसका रकबा 10.86 एकड़ है, में जलकर अवस्थित है एवं खेसरा सं0 1084 जिसका रकबा 9.46 एकड़ है, में पिंड के रूप में अवस्थित है। दोनों खेसरा अनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है। पिंड की भूमि पर लगभग 0.60 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती जिसकी बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 1983-86, 2009-10 एवं 2011-12 में हुई थी। उक्त पिंड में कब्रिस्तान भी अवस्थित है, जिसकी घेराबंदी की गई है। इसके अतिरिक्त 22 लोगों के द्वारा पिंड के कुछ हिस्सों का अतिक्रमण

किया गया है तथा कच्चा एवं पक्का घर बना कर रह रहे है, सभी महादलित समुदाय के लोग है। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि अंचल अधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया है कि अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी एवं अमीन के साथ स्थलीय जाँच कर नापी करायी जाय। यदि उक्त जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो विधि सम्मत कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त बन्दोबस्ती एवं कब्रिस्तान घेराबंदी आदि के बिन्दुओं पर कागजातों का अध्ययन कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

उसी प्रकार बक्सर प्रखण्ड अन्तर्गत जासों में अवस्थित पोखरा पर किसी निजी व्यक्ति के नाम से निर्गत पर्ची पर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदत करने का निदेश दिया गया था। इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि न्यायालय में वाद चल रहा है। अतः न्यायालय में वाद चलने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाइ नहीं हो पायी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त इतनी लम्बी अवधि के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर क्षोभ प्रकट किया गया। दलसागर अवस्थित 52 बीघें के पोखरा की बंदोबस्ती रद्द करना, पोखरा की जमीन का अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। साथ ही पोखरा की जमीन कब्रिस्तान हेतु दिया जाना क्यों आवश्यक था, इस पर भी प्रतिवेदित किए जाने की आवश्यकता है। आगामी बैठक से पूर्व सभी संबंधित कार्रवाई अपेक्षित है। साथ ही जासों में अवस्थित पोखरा की जमीन पर निर्गत पर्चा के संबंध में कागजातों को अध्ययन कर कार्रवाई सुनिश्चित करनी है।

समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों पोखरा के संबंधित मामलों पर कागजातों को अध्ययन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी एवं श्रीमती माधुरी कुँवर, अधिवक्ता–सह– मनोनीत सदस्य की टीम गठित की जाती है। उक्त टीम को निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर सुस्पष्ट प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

(अनु0:– अंचलाधिकारी, बक्सर/ भूमि उप समाहर्त्ता, बक्सर / अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/ माधुरी कुँवर, अधिवक्ता/ अपर समाहर्त्ता, बक्सर)

2. गत बैठक में पंचकोशी परिक्रमा स्थल के साथ ही बक्सर के प्रमुख धार्मिक एवं पौंराणिक स्थलों से संबंधित पर्यटन विभाग को भेजे गए प्रस्ताव की एक प्रति माननीय विधायक, बक्सर को उपलब्ध कराने का दिए गए निदेश के आलोक में अनुपालन किया गया है। इस क्रम में निदेशित किया गया कि प्रस्ताव एक प्रति माननीय अध्यक्ष–सह– सांसद को भी उपलब्ध करावें। बैठक में माननीय सांसद को भी उपलब्ध कराया गया।

(अनु0:– प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा)

3. गत बैठक में श्री संजय कुमार ओझा, ग्राम – सिंहनपुरा, पंचायत – गायघाट का नाम बी0पी0एल0 सूची में होने के बावजूद इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में अध्यक्ष द्वारा अब तक की गई कार्रवाई को नैसर्गिक न्याय के विरूद्व बताते हुए निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन से जाँच कराकर दोषी के विरूद्व कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन करने तथा आवेदक को इंदिरा आवास का लाभ मिले इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

समीक्षा के क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन को प्रमाणिक नहीं पाया। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि आवेदक गरीब है और इंदिरा आवास योजना के योग्य है। मासिक आय के संबंध में प्रतिवेदित राशि प्रमाणिक नहीं है। आवेदक का नाम पारिवारिक